

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****रिट - ए संख्या - 6049/2026**

वीरेंद्र कुमार पांडेय

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचिवालय, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और 4 अन्य

..... प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: ओ. पी. तिवारी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:-

"i. दिनांक 31.05.2026 को विपक्षी संख्या 3 (केवल याचिकाकर्ता से संबंधित, जिसका क्रमांक 467 है) द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का कानपुर जिले से लखनऊ जिले में स्थानांतरण किया गया है, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में शामिल है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ii. विपक्षीगणों को याचिकाकर्ता को विपक्षी संख्या 4 के अधीन कार्य करने की अनुमति देने और प्रत्येक माह वेतन का भुगतान करने का आदेश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता 70% विकलांग है और एक दुर्घटना के बाद सेवा छोड़ चुका है और स्थानांतरण नीति 2026-27 के खंड 5 (IV) में प्रावधान है कि 40% से अधिक विकलांग सरकारी कर्मचारियों का सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय असाधारण कारणों के। इसलिए, याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण संबंधी कानून के खंड V के मद्देनजर स्थानांतरण से छूट प्राप्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (स्थापना) के समक्ष दिनांक 01.03.2026 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।

4. इस न्यायालय ने दिनांक 15.06.2026 के आदेश द्वारा उपरोक्त पर विचार करते हुए आईजी (स्थापना) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सहायता के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

5. श्री राजेश दिनेश मोदक, आईजी (स्थापना) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और न्यायालय को अवगत कराया कि पुलिस विभाग के संबंध में दिनांक 11.7.1986 का एक शासनादेश है, जिसमें यह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रावधान है कि किसी विशेष जिले में हेड सिपाही की तैनाती 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और सिपाही की तैनाती 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुलिस विभाग ने विकलांग पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पत्र भी भेजा था, लेकिन राज्य सरकार ने दिनांक 5 सितंबर, 2022 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया था।

6. ऐसी परिस्थितियों में, स्थानांतरण नीति 2026-27 के खंड 5(IV) की छूट संबंधित पुलिस विभाग पर लागू होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि विकलांग पुलिस कर्मियों के संबंध में स्थानांतरण नीति में उल्लिखित छूट का खंड सख्ती से लागू नहीं होता, फिर भी पुलिस मुख्यालय ने मानवीय आधार पर विकलांग व्यक्ति को उनकी पसंद के स्थान पर तैनात करने का प्रयास किया।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि स्थानांतरण नीति का उल्लंघन होने पर भी स्थानांतरण अवैध नहीं होगा, बल्कि अधिक से अधिक संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने का अधिकार देता है।

8. उपरोक्त दलीलों और अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि स्थानांतरण नीति 2026-27 के खंड 5(IV) में 40% से अधिक विकलांगता से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण से छूट दी गई है, साथ ही 11.7.1986 के शासनादेश में यह प्रावधान है कि सिपाही और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुख्य सिपाही जैसे पुलिस कर्मियों को, जिन्होंने किसी विशेष जिले में अधिकतम तैनाती अवधि पूरी कर ली है, ऐसी छूट नहीं दी जा सकती।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को स्थानान्तरण नीति के आलोक में शिकायत निवारण हेतु एक सप्ताह के भीतर आईजी (स्थापना) के समक्ष नया प्रत्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाए। यदि ऐसा प्रत्यावेदन दाखिल किया जाता है, तो आईजी (स्थापना) शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त पुलिस कर्मियों को छूट देने के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अगले एक माह के भीतर इस पर निर्णय लेंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि जबकि यह दिनांक 11.7.1986 का पूर्व शासनादेश है, विपक्षी संख्या 1 इस मुद्दे पर विचार करे कि क्या 40% से अधिक अक्षमता से ग्रस्त पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरण नीति अधिनियम 2026-27 के खंड 5(IV) में उल्लिखित अनुसार स्थानान्तरण से छूट दी जाएगी।

10. उपरोक्त अवलोकन के साथ वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के निस्तारण तक एक माह की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के संबंध में विवादित आदेश को प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

17 जून, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।